छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक
एवं सांख्यिकीय विभाग
" अधिसूचना "
रायपुर, दिनांक 31 मार्च, २००१

क्रमांक एफ/10-11/2001/वा.क./पांच (5) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम १६१५ (क्रमांक २ सन् १६१५) की धारा ६२ की उपधारा (३) के परन्तुक के साथ गठित उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, सम्यक विचार करने के पश्चात्, एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक १४ - पांच - एस०आर० तारीख ७ जनवरी, १६६०-को और संशोधित करती है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त नियमों में शीर्ष " (ग) सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तें " के अधीन -
(१) नियम दो-क के उपनियम (२) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाय, अर्थात् -

परन्तु यह कि समूह में नीलाम की गई देशी स्प्रिट दुकानों में पूर्ववर्ती वर्ष के उसी माह में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में ऐसी दुकानों को प्रदाय की गई देशी स्प्रिट की मासिक औसतन मात्रा एवं ऐसी मासिक औसतन मात्रा के ५ प्रतिशत से अधिक तथा अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ववर्ती वर्ष में ऐसी मासिक औसतन मात्रा के ५० प्रतिशत से अधिक प्रदाय किया जाता है तो ऐसी अधिक ली गई देशी स्प्रिट की मात्रा पर संदत्त शुल्क की राशि का समायोजन मंजूर नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - " अनुसूचित क्षेत्र " से तात्पर्य शासन की अधिसूचना क्रमांक २४६७-पांच-एस०आर० ७६ दिनांक १६-६-१६७६ द्वारा दर्शाए क्षेत्र से है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(signature)
(अमृता बेक)
अवर सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
COMMERCIAL TAXES, FINANCE, PLANNING, ECONOMIC & STATISTICS DEPARTMENT

"NOTIFICATION"

Raipur the ....31.......... March 2001

No. F/10-11/2001/C.T./V(5) In exercise of the powers conferred by subsection (2) read with proviso to sub-section (3) of section 62 of the Chhattisgarh Excise Act 1915 (No. II of 1915) and all other powers enabling in this behalf, the State Government, after due consideration hereby makes the following further amendments in the Excise Rules published under this Department notification No. 14-V-SR dated the 7th January 1960 namely -

Amendments

In the said Rules, under the heading (C) General Licence conditions :-

(1) for the proviso to sub rule (2) of rule - II A, the following proviso shall be substituted namely :-

"Provided that no adjustment of amount of duty paid for the quantity of country spirit issued in a month to shops auctioned in a group in excess of the monthly average quantity of country spirit issued for such shops in the previous year plus five percent of such average quantity in areas other than Tribal sub plan area and plus fifty percent of such average quantity in scheduled areas shall be allowed.

Explanation - "Scheduled Area means the area defined as per Government notification No. 2467-V-5R 76 Dated 16th June 1976.

By order and in the name of
the Governor of Chhattisgarh

(signature)

(AMRITA BECK)
Under Secretary